फा.सं.08/02/2025-रा.भा.(सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 02 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 से केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग (CSOLS) के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए SPARROW पोर्टल के माध्यम से वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) की ऑनलाइन प्रस्तुति।

उपरोक्त विषय के संबंध में जैसा कि विदित है कि सेवा अनुभाग, राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग (CSOLS) के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) का रख-रखाव किया जाता है। इस संबंध में, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रक्रिया को सुचारू एवं अधिक प्रभावी बनाने हेतु, राजभाषा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से APAR की ऑनलाइन प्रस्तुति SPARROW पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य की जा रही है। इससे पूर्व यह प्रक्रिया ऑफलाइन (Offline) माध्यम से की जाती रही है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से स्वीकार नहीं की जाएगी ।

2. उपरोक्त SPARROW प्रणाली को लागू करने के लिए, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग (CSOLS) के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का अद्यतन डाटा NIC को उपलब्ध कराया जाना है। अतः इस संबंध में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना सेवा संबंधी अद्यतित विवरण https://164.100.54.224/csol/ लिंक के माध्यम से अपलोड करें। इसके अतिरिक्त, भरे हुए उक्त प्रोफ़ार्मा की प्रति प्रशासन द्वारा सत्यापित करवाते हुए sunita.mk@gov.in तथा jagdish.chander1@nic.in ईमेल पर भी प्रेषित करें। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्व में उक्त ऑनलाइन प्रोफ़ार्मा में सूचना उपलब्ध कर दी गई थी, वे भी अपनी सूचना को दिए गए लिंक पर लॉगिन के माध्यम से जांच लें तथा यदि कोई त्रुटि हो तो, उसे अद्यतित कर दें। यह प्रक्रिया **अत्यधिकतम दिनांक 11 अप्रैल, 2025** तक पूरी कर ली जाए। जिसके बाद अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक SPARROW पोर्टल पर APAR भरने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

3. इस नई प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को ऑनलाइन प्रस्तुति में किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो वे इस संबंध में श्री दीपक कुमार, निरीक्षक (व्हाट्सअप नं. 9568400689) से संपर्क कर सकते हैं।

4. साथ ही, यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की पिछले वर्षों की कोई APAR अभी तक विभाग को प्रेषित नहीं की गई है, तो उसे अविलंब ऑफलाइन (Offline) माध्यम से विभाग में भेजा जाए ताकि रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके। यह पदोन्नति एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य है।

सुनिता कुंभरे
02.4.25
(सुनिता एम. कुंभरे)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23438125

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
4. गार्ड फ़ाइल।